

2016/00148

8

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा)

पीठासीन अधिकारी -विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

अपील संख्या- 12/2016

अवसेतू पुत्रश्री लाखनसिंह नाबालिग व सरपरस्ती माता पप्पी पत्नी लाखनसिंह जाति ठाकुर निवासी मांकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

- 1-श्यामवीरसिंह परमार पुत्र परमानन्दसिंह जाति ठाकुर निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी वाडी रोड धौलपुर
- 2-डम्बरसिंह पुत्र बुद्धा जाति ठाकुर निवासी मांकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
- 3-रूस्तमसिंह पुत्र बुद्धा जाति ठाकुर निवासी मांकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर हाल निवासी ग्राम बोथपुरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर
- 4-ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा तामील जरिये संरपच

.....रेस्पो0

अपील व खिलाफ नामा0 आदेश सरपंच ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा तारीखी 21.07.2014 वावत् नामा0 संख्या 260 वाके ग्राम खपरैला तहसील सैपऊ

उपस्थिति- 1-श्री सुरेन्द्रसिंह दुबे अभिभाषक - अपीलांत

2-श्री हरिवीरसिंह अभिभाषक - रेस्पो0 संख्या 2

निर्णय

दिनांक 15.05.2018

अपीलान्ट की ओर से अपना शिजरा प्रस्तुत करते हुये अपील न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की कि पक्षकारो के पूर्व पुरुष बुद्धा थे बुद्धा के दो पुत्र डम्बरसिंह व रूस्तमसिंह हुये, डम्बरसिंह के पुत्रगण लाखनसिंह,कोकसिंह,निहालसिंह,रामनरेश व मोनू हुये अपीलान्ट लाखनसिंह का पुत्र है । नामा0 संख्या 260 वाके ग्राम खपरैला के खातेदार काश्तकार पूर्व पुरुष बुद्धा थे । उनके के निधन के उपरान्त रेस्पो0 संख्या 2 व 3 पर वाहिस्सा प्रकान्त हुई । विवादित आराजी अपीलान्ट की पैतृक आराजी है जिसमें अपीलान्ट को जन्म से ही खातेदारी अधिकार हासिल है। उपरोक्त आराजीयात नामा0 संख्या 260 वाके ग्राम खपरैला तहसील सैपऊ में अपीलान्ट के बाबा रेस्पो0 संख्या 2 डम्बरसिंह, व रेस्पो0 संख्या 3 ने रेस्पो0 संख्या 4 से साजकर विवादित आराजी पर स्थगन आदेश रहते हुये भी रेस्पो0 संख्या 1 ने दिनांक 7.4.2016 को विधि विरुद्ध बटवारा कर दिया है तथा उक्त आराजी के रेस्पो0 संख्या 3 ने रेस्पो0 संख्या 1 को दिनांक 15.7.2014 को विक्रय कर दिया है जो न्यायालय की सरेआम अवमानना की है। उपरोक्त आराजीयात पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 21.8.2006 से स्थगन आदेश जारी है जो उनवानी प्रकरण डम्बरसिंह बनाम विट्टी अपील संख्या




उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ


5547/2006 विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख 19.9.2016 नियत है। स्थगन आदेश को बजूद में रहते हुए रेस्पों संख्या 4 ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तहत नामा० पारित किया है।

यह कि आदेश तारीखी 21.7.2014 खिलाफ कायदे कानून है। अधीनस्थ अधिकारी ने नामा० पारित करते समय किसी प्रकार की जांच नहीं की। अधीनस्थ अधिकारी ने नामा० पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया है। समस्त कार्यवाही स्थगन आदेश के होते हुए की है जो प्रारंभ से ही शून्य है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही अपीलान्त की बैक पर कर नामा० पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्त को आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 16.7.2016 को हुई तत्पश्चात अपीलान्त ने तहसील जाकर मालूमात किया जो अपीलान्त ने नामा० की नकल दिनांक 19.7.2016 को तहसील कार्यालय सैपऊ प्राप्त की। अपीलान्त बिना देशी किये ज्ञान से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्त को इसकी जानकारी नहीं थी। अपीलान्त आवश्यक पक्षकार है। इसके लिए अपीलान्त पृथक से धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्त द्वारा उपरोक्त विवेचन के उपरान्त निवेदन किया है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर तहत नामा० आदेश तारीखी 21.7.2014 सरपंच ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा वावत् नामा० संख्या 260 वाके ग्राम खपरैला मन्सूख फरमाया जावे।

अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार -2018 कैम्प अटल सेवा केन्द्र कूकरा मांकरा तहसील सैपऊ पर रखा गया। अपीलान्त की सरपरस्त माता पप्पी स्वयं व उनके अभिभाषक उपस्थित। रेस्पों संख्या 1 की ओर से श्री हरवीरसिंह एडवोकेट उपस्थित। रेस्पों संख्या 2 डम्बरसिंह व रेस्पों संख्या 4 सचिव ग्राम पंचायत स्वयं उपस्थित। रेस्पों संख्या 3 रुस्तमसिंह का नोटिस ग्राम मांकरा में नहीं रहने के कारण अदम तामील प्राप्त हुआ है। रेस्पों संख्या 1 की ओर से एक कित्ता फहरिस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल मिसिल किये गये। रेस्पों संख्या 2 व 4 ने अपील का कोई जबाब प्रस्तुत करने से इंकार किया।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत सिजरा अनुसार अपीलान्त का हित रेस्पों संख्या 2 से जुड़ा है। जो वयनामा रेस्पों संख्या 3 द्वारा रेस्पों संख्या 1 के पक्ष में किया गया है उसका अपीलान्त के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। रेस्पों संख्या 2 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील दिनांक 30.10.2017 को खारिज हो चुकी है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

